न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 45/2022 निर्णय दिनांकः– 18-11-25
(जीसीएमएस संख्या 2022/177)

1. पन्नाराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर (मृतक)

1/1 खेताराम
1/2 सोहनराम
1/3 दुर्गाराम
1/4 रेवन्तराम
1/5 लूणाराम
} पिसरान स्व. श्री पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी गॉव चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/6 कमला देवी पत्नी धुडाराम पुत्री स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 24, मोहनपुरा नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/7 छगनादेवी पत्नी लिखमाराम पुत्री स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी गॉव पींपासर, तहसील व जिला नागौर।

1/8 जसु पत्नी अर्जुनराम पुत्री स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी गॉव जयसिंहदेसर कल्याण कुचोर आथूणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/9 चन्दू पत्नी भगवानाराम पुत्री स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी गॉव जेसलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

1/10 मुन्नी पत्नी कैलाशराम पुत्री स्व. पन्नाराम निवासी गॉव सुरजणा सथेरण तहसील व जिला नागौर।

–अपीलांट

बनाम

1. चेतनराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर (मृतक)

1/1 बुधाराम पुत्र चेतनराम
1/2 तुलछाराम पुत्र चेतनराम
1/3 बादरमल पुत्र चेतनराम
1/4 गोपालराम पुत्र चेतनराम
1/5 कुम्भाराम पुत्र चेतनराम
} अकवाम मेघवंशी निवासीगण ग्राम चरकड़ा तहसील नोखा।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1/6 सुवटी पुत्री चेतनराम
1/7 फूला बाई पुत्री चेतनराम
1/8 सायर पुत्री चेतनराम
1/9 देबू देवी पुत्री चेतनराम
1/10 सुशीला देवी पुत्री चेतनराम
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2022
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री ओम चाण्डक, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2022 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से निर्णय व विभाजन की डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ग्राम चरकड़ा के स्थायी कदीमी निवासी है, जिनकी एक संयुक्त खाते की पुश्तैनी कृषि भूमि वाके रोही ग्राम चरकडा के वर्तमान खाता स. 195 में खसरा नं. 1366 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 1453 की 0.24 हैक्टर, खसरा नं. 1460 की 6.06 हैक्टर, खसरा नं. 1689 की 5.08 हैक्टर, खसरा नं. 1697 की 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 2182/1460 की 6.22 हैक्टर, खसरा न. 2200/1689 की 5.26 हैक्टर, खसरा नं. 937 की 0.34 हैक्टर, खसरा नं. 938 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 939 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 940 की 0.83 हैक्टर, खसरा नं. 942 की 0.65 हैक्अर, खसरा नं.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

943 की 20.90 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 45.81 हैक्टर भूमि बतौर खातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट ने अर्सा 8–9 वर्ष पूर्व एक कृषि भूमि इसी ग्राम चरकड़ा के वर्तमान खाता सं. 194 की खसरा नं. 1796 की 5.07 हैक्टर, खसरा नं. 2052/1796 की रकबा 0.60 हैक्टर व खसरा नं. 2198/1797 की 0.91 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.58 हैक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त रूप से खरीदशुदा कृषि भूमि है। दोयम भूमियों में पृथक रूप से अपीलांट 1/2 हिस्सा व दोयम भूमियों में रेस्पोडेन्ट का पृथक रूप से 1/2 हिस्सा है। दोयर भूमियों को इकजाई करने हुए कुल भूमि में रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा अंकित कर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया है। जो पोषणीय नही है। ऐसे अपोषणीय वाद पत्र में अलग अलग दोयम भूमियों को शामिल करते हुए इकजाई तौर पर प्रदत प्राथमिक डिक्री निरस्त करने योग्य है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा संयुक्त रूप से खरीदशुदा कृषि भूमि वाके रोही चरकड़ा वर्तमान खाता सं. 194 की खसरा नं. 1796 की 5.07 हैक्टयर, खसरा नं. 2052/1796 की रकबा 0.60 हैक्टयर व खसरा नं. 2198/1797 की 0.91 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 6.58 हैक्टयर अन्य भूमियों से अलग व अलग से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 की 1/2–1/2 हिस्सा भूमि हैं। इसी अनुरूप बंटवारा नहीं किया जाकर, बाकी पैतृक कृषि भूमि के साथ मिलाते हुए बंटवारा किया जाना कतई विधि सम्मत नहीं हैं। अपीलांट व रेस्पॉ. सं. 1 की संयुक्त रूप से खरीदशुदा भूमि खाता संख्या 194 की खसरा नं. 1796 की 5.07 हैक्टयर, खसरा नं. 2052/1796 की रकबा 0.60 हैक्टयर व खसरा नं. 2198/1797 की 0.91 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 6.58 हैक्टयर में आपसी सहमती से, खरीद के समय से ही पश्चिमी दिशा में अपीलांट व पूर्वी दिशा में रेस्पोडेन्ट भौतिक रूप से काबिज हैं। व इसी अनुरूप फसल काश्त करते हैं इसी प्रकार पुश्तेनी जमीन खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1366 की 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1453 की 0.24 हॅक्टयर, खसरा नम्बर 1460 की 6.06 हैंक्टयर, खसरा नम्बर 1689 की 5.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1697 की 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2182/1460 की 6.22 हैंक्टयर, खसरा नम्बर 2200/1689 की 5.26 हैक्टयर, खसरा नम्बर 937 की 0.34 हैंक्टयर, खसरा नम्बर 938 की 0.04 हॅक्टयर, खसरा नम्बर 939 की 0.03 हॅक्टयर, खसरा नम्बर 940 की 0.83 हॅक्टयर, खसरा नम्बर 942 की 0.65 हैक्टयर, खसरा नम्बर 943 की 20.90 हैक्टयर, कुल किता 13 कुल रकबा 45.81 हैक्टयर में भी अपीलांट पश्चिम

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दिशा में व रेस्पोडेन्ट पूर्व दिशा में मौके पर भौतिक रूप से वर्षों से काबिज हैं। जो वर्षों पूर्व हुए बाहमी भाई बंटवारे के अनुसार हैं व इसी अनूरूप मौके पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के रिहायशी मकानात, पानी कुण्ड, पशुओं के बाड़े बने हुए हैं। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट भी उपरोक्त खरीदशुदा भूमी कुल तादादी 6.58 हैक्टयर के पश्चिम दिशा की अपीलांट की जमीन की तरफ नजदीक गत वर्ष रास्ते को पक्का करके सड़क बन जाने के कारण लालचवश पूर्व के बाहमी बंटवारों के विपरीत कथन अंकन कर प्रस्तुत दावा वादी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये स्वीकार किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की हैं। केवल मात्र तकनीकी आधारों पर अपीलांट का जबाब दावा रेकार्ड पर नहीं लिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की है। अधिवक्ता की गलती/भूल का दण्ड पक्षकार को नहीं मिलना चाहिये। जबाब दावा रेकार्ड पर नहीं लिये जाने के कारण दावा हाजा में तनकीयात नही बन पायी, अपीलांट अपनी शहादत पेश करने से भी वंचित रहा जो कभी भी न्याय / कानून की मंशा नहीं हो सकती । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा वादी महज बंटवारे बाबत प्रस्तुत किया गया था जिसमें कानूनी पैचिदगियों के सहारे अपीलांट को अपने विधिक हकूकों से वंचित कर त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट 82 साल की आयु का वृद्ध व्यक्ति हैं जो काफी अस्वस्थ रहता हैं। प्रोस्टेट का मरीज हैं। गत 2–3 महिनों में अत्यधिक गर्मी के कारण बहुत ज्यादा बिमार रहा, चलने फिरने में भी असमर्थ रहा इस कारण गॉव से नोखा आ कर अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर पाया। दिनांक 01/06/2022 को जब अपीलांट अपने ईलाज के सिलसिले मे नोखा आया तो वकील साहब से सम्पर्क करने पर निर्णय व डिकी जैर अपील की प्रथम बार जानकारी हुई तब अपीलांट ने वकील साहब को नकल लेने का कहा तत्पश्चात् तकलीफ बढ जाने के कारण अपीलांट.

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वकील साहब से पुनः सम्पर्क करने में असमर्थ रहा। अब अपीलांट के स्वस्थय में थोडा सुधार होने पर दिनांक 11/06/2022 को वकील साहब से सम्पर्क कर नकुलात लेकर खर्चे आदी का प्रबन्ध कर दिनांक 12/06/2022 को बीकानेर आ कर कानूनी सलाह, वकील नियुक्त कर बिना कोई देरी किये अपील पेश की जा रही हैं। अपीलांट ने अपील पेश करने में जानबूझ कर कोई देरी या गफलत नहीं की हैं। अपील पेश करने में सद्भावना पूर्वक व मजबूरी वश हुए विलम्ब को नजरअंदाज कर अपील अपीलांट मियाद शुमार फरमाई जानी न्यायहित में आवश्यक हैं। धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा रोही ग्राम चरकड़ा के वर्तमान खाता स. 195 में खसरा नं. 1366 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं. 1453 की 0.24 हैक्टर, खसरा नं. 1460 की 6.06 हैक्टर, खसरा नं. 1689 की 5.08 हैक्टर, खसरा नं. 1697 की 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 2182/1460 की 6.22 हैक्टर, खसरा न. 2200/1689 की 5.26 हैक्टर, खसरा नं. 937 की 0.34 हैक्टर, खसरा नं. 938 की 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 939 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 940 की 0.83 हैक्टर, खसरा नं. 942 की 0.65 हैक्अर, खसरा नं. 943 की 20.90 हैक्टर कुल किता 13 कुल रकबा 45.81 हैक्टर भूमि व खाता संख्या 194 की खसरा नं. 1796 की 5.07 हैक्टयर, खसरा नं. 2052/1796 की रकबा 0.60 हैक्टयर व खसरा नं. 2198/1797 की 0.91 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 6.58 हैक्टयर भूमि के खाता विभाजन करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। जिस पर दिनांक 13–02–2020 को प्रतिवादी उपस्थित आते हुए विभाजन के वाद का जवाब दावा पेश किया। न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसके अभी प्रस्ताव प्राप्त होने शेष है एवं यदि अपीलांट/प्रतिवादी को प्राथमिक डिक्री उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी तक किसी का हिस्सा तय नहीं किया है केवल मात्र प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत विभाजन के दावे को लम्बित रखने के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मकसद से अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट केवल मात्र कानूनी पेचिदिगयों से दावा डिक्री नहीं होने देना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के दावे अनुसार न्यायपूर्ण तरीके से खाता विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी गई है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है अर्थात उक्त विभाजन से उनके हितों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021 द्वितीय पेज 1470, आरएलडब्ल्यु 2018 प्रथम पेज 85 प्रस्तुत किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2022 के विरूद्व अपील दिनांक 13–06–2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि प्रकरण में सभी पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है तथा विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियांद के बिन्दु अर्थात मियांद में अत्याधिक विलम्ब न होने की स्थिति में न्यायालय को मियांद बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लिहाजा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट द्वारा विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31–03–2022 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा है कि खाता संख्या 195 की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की पैतृक संबंधित है जबकि खाता संख्या 194 की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की खरीद सुदा भूमि है। उक्त दोनो भूमियों का अलग–अलग 1/2–1/2 हिस्सा तय किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो भूमियों को एकजाई कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलांट और रेस्पोडेन्टान अपीलाधीन आराजी के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत आराजी के खाता विभाजन का दावा लाया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई। यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलाधीन आराजी में से खाता संख्या 195 की भूमि पैतृक कृषि भूमि है जबकि खाता संख्या 194 की भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टान संख्या 1 द्वारा संयुक्त रूप से खरीदसुदा भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 24–10–2011 का अवलोकन किया गया। इस सेल डीड द्वारा खाता संख्या 194 की भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा बहिस्सा बराबर क्रय की गई। इस सेल डीड के द्वारा कोई विशिष्ट भू–भाग किसी पक्षकार को नही दिया गया। इस सेल डीड में यह उल्लेखित नही है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 में से कौन कहा काबिज होगा। इस सूरत में सम्पूर्ण अपीलाधीन भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त कृषि भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड तथा कब्जा काश्त की स्थिति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम), 1955 के नियम 19 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव बनाने के आदेश पारित किये है। प्राथमिक डिक्री में हिस्सा तय किया है इसमें कब्जे का

राजस्व अपील अधि॰
बीकानेर

निर्धारण नही किया गया है। अपीलांट की आपत्ति हिस्से के संबंध में नही है। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के बाबत् अंतिम डिक्री जारी होना शेष है, ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट को कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त होती है तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में निर्देश दिये जाने उचित पाते है कि यदि अपीलांट् द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व वादीगण/अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे। प्राथमिक डिक्री पर इस स्तर पर कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रती नही होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2022 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 18-11-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर